निगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) और सम्पोषणीयता नीति

निगम सामाजिक दायित्व और सम्पोषणीयता संबंधी निगम उद्देश्य

आईटीडीसी के बोर्ड ने 12 अगस्त, 2016 को संपन्न अपनी बैठक में आईटीडीसी के उद्देश्यों के अनुसरण में ''स्वच्छ भारत'' सहित सीएसआर गतिविधियों, जो मॉनीटर करने में आसान हो, का चयन करने का निदेश दिया। अधिनियम की अनुसूची–VII में सूचीबद्ध गतिविधियों से सीएसआर गतिविधियों और परियोजनाओं का चयन करते समय आईटीडीसी उन परियोजनाओं को प्राथमिकता देगा, जो आईटीडीसी के उद्देश्यों के अनुरूप हों। आईटीडीसी का उद्देश्य आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्र में अग्रणी स्थान प्राप्त करना है। बोर्ड ने पर्यटन से संबंधित क्षेत्रों में सीएसआर गतिविधियां करने की सलाह दी क्योंकि पर्यटन आईटीडीसी के कार्यक्षेत्र का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है।

* विध्वंस/आपदा की स्थिति में सीएसआर समिति और बोर्ड लोगों, सरकार, और गैर सरकारी संगठनों की आपदा संबंधी प्रबंधन कार्यकलापों में मदद करने के प्रयोजनार्थ कार्रवाई कर सकते हैं, जिसमें इस प्रयोजनार्थ स्थापित की गई निधि में अंशदान देना भी शामिल होगा।

इसके अलावा, सीएसआर समिति और बोर्ड, लोक उद्यम विभाग, पर्यटन मंत्रालय आदि सहित सरकार द्वारा दिए गए निदेश/सलाह के अनुसार सीएसआर संबंधी कार्यकलापों को शुरु करने के लिए भी अनुमोदन दे सकते हैं।

सम्पोषणीयता के प्रति वचनबद्धता

आईटीडीसी हमेशा सामाजिक, आर्थिक और सम्पोषणीय तरीके से कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह उन परियोजनाओं में निवेश करना जारी रखेगा, जो पर्यावरण के अनुकूल हों। आईटीडीसी ऐसी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करेगा, जो उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित और स्वास्थ्यकर और पर्यावरण अनुकूल हों।

सीएसआर और सम्पोषणीयता नीति का कार्यक्षेत्र

- सीएसआर और सम्पोषणीयता की यह नीति आईटीडीसी द्वारा की जा रही सीएसआर और सम्पोषणीयता गतिविधियों के निर्माण, कार्यान्वयन, निगरानी, प्रलेखन और रिपोर्टिंग पर लागू है।
- इस नीति में आईटीडीसी के सामान्य कारोबार तथा आईटीडीसी के कर्मचारियों अथवा उनके परिवार के लाभार्थ की जाने वाली गतिविधियां शामिल नहीं हैं, क्योंकि इन्हें सीएसआर और सम्पोषणीयता की गतिविधियां नहीं माना जाता है।
- यह नीति कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा सीएसआर संबंधी डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुरूप बनाई गई है। इस नीति और कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के बीच यदि कोई विसंगति पायी जाती है, तो कंपनी अधिनियम के प्रावधान मान्य होंगे।
- कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा उसके तहत बनाई गई नियमावली में किए गए संशोधनों से उत्पन्न किसी नए प्रावधान को इस नीति का भाग माना जाएगा। तथापि, इस प्रकार के नए प्रावधानों को विशेष रूप से इस नीति में शामिल किया जाएगा।

* 27.05.2020 को हुई बैठक में बोर्ड द्वारा संशोधित किया गया!

संस्थागत संरचना

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप, संस्थागत संरचना निम्न प्रकार होगी :

4.3.1 बोर्ड की निगम सामाजिक दायित्व समिति ('सीएसआर समिति') गठित की गई, जिसमें तीन सदस्य अर्थात् अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, निदेशक (वाणिज्यिक व विपणन) और एक स्वतंत्र निदेशक हैं।

निगम सामाजिक दायित्व समिति की भूमिका और दायित्व

- निगम सामाजिक दायित्व नीति का निर्माण और बोर्ड को इसकी सिफारिश करना, जिसमें अधिनियम की अनुसूची–VII में विनिर्दिश्ट नियमों के अनुसार कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों का उल्लेख होगा।
- समय–समय पर कंपनी की सीएसआर नीति को मॉनीटर करना।
- अनुसूची–VII के अनुसार गतिविधियों के लिए आबंटित की जाने वाली राशि की सिफारिश करना।
- अधिनियम की अनुसूची–VII के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों/प्रस्तावों की सिफारिश/समीक्षा करना।
- कंपनी द्वारा चलाई जाने वाली सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों/गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए एक पारदर्शी निगरानी तंत्र बनाना।
- इस दायित्व विवरण को शामिल करते हुए कि सीएसआर नीति का क्रियान्वयन और निगरानी कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों और नीति के अनुपालन में है, के साथ–साथ नियमावली में दिए गए प्रपत्र के अनुसार सीएसआर गतिविधियों संबंधी वार्षिक रिपोर्ट की सूचना का अनुमोदन करना;
- बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल की जाने वाली सीएसआर गतिविधियों संबंधी वार्षिक रिपोर्ट पर सीएसआर समिति के अध्यक्ष हस्ताक्षर करेंगे;
- समय–समय यथा पर संशोधित निगम सामाजिक दायित्व और सम्पोषणीयता संबंधी अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन करना।

4.3.3 सीएसआर गतिविधियों के चयन और क्रियान्वयन का अंतिम विवेकाधिकार आईटीडीसी के निदेशक बोर्ड का होगा, जो आईटीडीसी के उद्देश्यों, संगठनात्मक कार्यक्षमता और संसाधन क्षमता को देखते हुए कंपनी के हित में निर्णय लेगा।

बोर्ड की भूमिका और दायित्व

- बोर्ड की सीएसआर समिति द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के लिए सीएसआर नीति को अनुमोदित करना तथा अपनी रिपोर्ट में इस नीति की विषय–वस्तु को प्रकट करना।
- यह सुनिश्चित करना कि उसकी सीएसआर नीति में शामिल गतिविधियां अनुसूची–VII में शामिल गतिविधियों से संबंधित हैं।
- पिछले लगातार तीन वित्त वर्षों के दौरान कमाए गए कंपनी के औसत निवल लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत का व्यय सुनिश्चित करना। यदि कंपनी यह राशि व्यय नहीं करती है, तो बोर्ड अपनी रिपोर्ट में यह राशि खर्च न करने के कारणों का उल्लेख करेगा।

सीएसआर कार्यक्रमों को तैयार करना

आईटीडीसी द्वारा चलाए जा रहे सीएसआर कार्यक्रम में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–VII और उसके तहत बनाई गई नियमावली में विनिर्दिष्ट गतिविधियां शामिल हैं।

पर्यटन और आतिथ्य के संबंध में सीएसआर कार्यक्रम/परियोजना का केन्द्र बिन्दु ''स्वच्छ भारत'' है। आईटीडीसी मुख्य रूप से राष्ट्रीय महत्व के ऐतिहासिक स्मारकों और पर्यटक स्थलों में स्वच्छ स्मारक, स्वच्छ पर्यटन और स्वच्छ भारत के आदर्श वाक्य के साथ अपनी सीएसआर गतिविधियां चलाएगा। सीएसआर गतिविधियों के लिए आईटीडीसी के प्रचालन के आसपास के स्थानीय क्षेत्रों (जिले के भीतर) को तरजीह दी जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सीएसआर की अधिकांश निधियां स्थानीय क्षेत्रों में गतिविधियां चलाने के लिए खर्च की जाएं।

कंपनी उपर्युक्त निर्धारित कार्यक्षेत्र और बजटीय प्रावधानों के भीतर प्रत्येक वर्ष के लिए एक वार्षिक योजना तैयार करेगी, जिसे मामला–दर–मामला आधार पर अनुमोदन हेतु बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। यदि आवश्यक हो तो, लक्षित लाभार्थियों, इसी प्रकार की गतिविधियों में संलग्न स्थानीय प्राधिकारियों, पेशेवरों तथा संस्थाओं इत्यादि से सीएसआर कार्यक्रमों की कार्ययोजना बनाने और क्रियान्वयन की प्रक्रिया में सलाह ली जाएगी/सहयोगी बनाया जाएं।

यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती गई है कि सीएसआर और सम्पोषणीयता की परियोजनाएं और सरकार के कार्यक्रम एक जैसे न हों।

कंपनी, सीएसआर के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियां नहीं चलाएगी :

i) मंदिर/मस्जिद/इत्यादि के निर्माण जैसी धार्मिक गतिविधियां।

ii) किसी भी प्रकार से सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली गतिविधियां।

निधि का आबंटन और व्यय

कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुसार, आईटीडीसी पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान कमाए गए औसत निवल लाभ (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के प्रावधानों के अनुसार परिकलित किया जाता है) का 2 प्रतिशत सीएसआर गतिविधियों/परियोजनाओं के लिए खर्च करेगी।

आबंटित निधियां सीएसआर समिति द्वारा अनुमोदित सीएसआर और सम्पोषणीयता कार्यक्रमों/गतिविधियों के लिए रखी गई हैं। आईटीडीसी का प्रयास है कि सीएसआर गतिविधियों/परियोजनाओं के लिए वार्षिक रूप से आबंटित निधियों का पूर्ण खर्च हो। अप्रयुक्त राशि, यदि कोई हो, व्यापगत नहीं होगी और उस वर्ष व्यय न की गई हो तो अगले वर्ष में अग्रेनीत की जाएगी, जो उन सीएसआर गतिविधियों पर किए जाने वाले व्यय में जुड़ जाएगी, जिन्हें पिछले वर्ष क्रियान्वित करने की योजना बनाई गई थी, किन्तु किन्हीं कारणों से पूरा नहीं किया जा सका।

आईटीडीसी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में संदर्भित निगम सामाजिक दायित्व से संबंधित गतिविधियों पर किए गए किसी व्यय को आईटीडीसी द्वारा कारोबार अथवा व्यवसाय के प्रयोजन हेतु किया गया व्यय नहीं माना जाएगा।

सीएसआर संबंधी व्यय में बोर्ड द्वारा उसकी सीएसआर समिति की सिफारिशों पर अनुमोदित सीएसआर गतिविधियों से संबंधित परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों के लिए आरक्षित निधि में अंशदान सहित सभी व्यय शामिल होंगे, किन्तु इसमें अधिनियम की अनुसूची–VII के कार्यक्षेत्र की परिधि में आने वाली किसी मद पर, जो उन गतिविधियों के अनुरूप नहीं है, अथवा दिशा में नहीं है, पर किया गया व्यय शामिल नहीं है।

किन्हीं सीएसआर परियोजनाओं/गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, आईटीडीसी के व्यवसाय का हिस्सा नहीं होगा।

सीएसआर कार्यक्रम का क्रियान्वयन

सीएसआर परियोजनाओं को सामान्यतया आंतरिक विभाग के जरिए निष्पादित और क्रियान्वित किया जाता है। आईटीडीसी सीएसआर गतिविधियों/परियोजनाओं के क्रियान्वयन में अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग करने और उनकी संसाधन क्षमताओं को जुटाने का प्रयास करेगा और साथ ही यथा संभव अपनी व्यवसाय नीतियों और कार्यनीतियों के साथ सीएसआर और सम्पोषणीयता नीति को जोड़ने का प्रयास करेगा और ऐसी सीएसआर गतिविधियों/परियोजनाओं का चयन करेगा, जिनकी आंतरिक विशेषज्ञता के जरिए बेहतर निगरानी की जा सकती हो। जहां कहीं भी, आवश्यक हो, चयनित गंतव्य से संबंधित स्थानीय प्राधिकरणों की भी सहायता/सहयोग लिया जाएगा।

निगरानी

गतिविधियां समय पर पूरी करने और परिणाम प्राप्त करने के लिए निगरानी की जाएगी। निगम के पदनामित अधिकारी द्वारा सीएसआर परियोजना की नियमित समीक्षा की जाएगी, जिसमें निष्पादन का मूल्यांकन किया जाएगा, अड़चनों की पहचान की जाएगी तथा सीएसआर परियोजना के सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे।

रिपोर्टिंग

आईटीडीसी द्वारा चलाई गई सीएसआर और सम्पोषणीयता संबंधी गतिविधियों का कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से स्टेकहोल्डरों में प्रचार–प्रसार किया जाएगा। इन रिपोर्टों को आईटीडीसी की वेबसाइट पर अपलोड करके सार्वजनिक किया जाता है।

सीएसआर और सम्पोषणीयता नीति कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड की जाती है। इसके अतिरिक्त, बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर गतिविधियों को भी कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

अधिनियम की धारा 134(3) के तहत बोर्ड की रिपोर्ट में निम्नलिखित प्रकटन किया जाएगा :

(i) बोर्ड की निगम सामाजिक दायित्व समिति का गठन

(ii) कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान निगम सामाजिक दायित्व पर क्रियान्वित नीति का ब्यौरा

(iii) सीएसआर रिपोर्ट में सीएसआर नीति की विषय–वस्तु

कंपनी विभिन्न स्टेकहोल्डरों में प्रचार–प्रसार हेतु चलाई गई सीएसआर गतिविधियों को रेखांकित करते हुए समय–समय पर एक कॉरपोरेट पुस्तिका प्रकाशित करेगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 का पाठ

135. निगम सामाजिक दायित्व

(1) प्रत्येक कंपनी, जिसका **तत्काल पूर्ववर्ती** वित्त वर्ष के दौरान निवल **मूल्य** 500 करोड़ रुपए अथवा अधिक हो अथवा कुल कारोबार एक हजार करोड़ रुपए अथवा अधिक हो अथवा निवल लाभ पांच करोड रुपए अथवा अधिक हो, बोर्ड की निगम सामाजिक दायित्व समिति का गठन करेगी, जिसमें तीन अथवा अधिक निदेशक होंगे, जिनमें से कम से कम एक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होगा।

[बशर्ते कि कंपनी को, जहां धारा 149 की उप–धारा (4) के तहत स्ततंत्र निदेशक नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है, वहां बोर्ड की निगम सामाजिक दायित्व समिति में दो अथवा अधिक निदेशक होंगे]

(2) धारा 134 की उप–धारा (3) के अंतर्गत बोर्ड की रिपोर्ट में निगम सामाजिक दायित्व समिति की संरचना का प्रकटन होगा।

(3) निगम सामाजिक दायित्व समिति निम्नलिखित कार्य करेगीः–

(क) निगम सामाजिक दायित्व नीति को तैयार करना और बोर्ड को उसकी सिफारिश करना, जिसमें कंपनी द्वारा शुरू की गई गतिविधियों का उल्लेख होगा [अनुसूची–VII में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों अथवा विषयों में];

(ख) खंड (क) में उल्लिखित गतिविधियों पर वहन किए जाने वाले व्यय की राशि की सिफारिश करना; और

(ग) समय–समय पर कंपनी की निगम सामाजिक दायित्व नीति की निगरानी करना।

(4) उप–धारा (1) में संदर्भित प्रत्येक कंपनी का बोर्डः–

(क) निगम सामाजिक दायित्व समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात कंपनी हेतु निगम सामाजिक दायित्व नीति का अनुमोदन करेगा और अपनी रिपोर्ट में इस नीति की विषय–वस्तु का प्रकटन करेगा और इसे निर्धारित तरीके से कंपनी की वेबसाइट, यदि कोई हो, पर डालेगा; और

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी की निगम सामाजिक दायित्व नीति में शामिल गतिविधियों को कंपनी द्वारा चलाया जा रहा हो।

(5) उप–धारा (1) में संदर्भित प्रत्येक कंपनी का बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि अपनी निगम सामाजिक दायित्व नीति के अनुसरण में प्रत्येक वित्त वर्ष में, पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान [अथवा कंपनी ने अपने निगमन से तीन वित्त वर्ष पूरे नहीं किए हैं, वहां विल्कुल पिछले वित्त वर्षों से], कंपनी के औसत निवल लाभ का कम से कम दो प्रतिशत व्यय किया जाए :

बशर्ते कि कंपनी, निगम सामाजिक दायित्व संबंधी गतिविधियों के लिए रखी गई राशि को व्यय करने के लिए स्थानीय क्षेत्रों और अपने प्रचालन क्षेत्र के आस–पास के क्षेत्रों को तरजीह देगी;

बशर्ते कि यदि कंपनी ऐसी राशि व्यय करने में विफल रहती है, तो बोर्ड, धारा 134 की उप–धारा (3) के खंड (ओ) के तहत बनाई गई अपनी रिपोर्ट में, राशि व्यय न करने के कारणों को निर्दिष्ट करेगा [और, जब तक उप–धारा (6) में संदर्भित चल रही किसी भी परियोजना से खर्च न की गई राशि का संबंधित है, तो ऐसी खर्च

न की गई राशि को अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि को वित्त वर्ष की समाप्ति के छह माह की अवधि के भीतर स्थानांतरित करेगा]

बशर्ते यह भी कि यदि कंपनी इस उप–धारा के तहत प्रदान की गई आवश्यकताओं से अधिक राशि व्यय करती है, तो ऐसे आगामी वित्त वर्षों की संख्या और इसी प्रकार, जैसा निर्धारित किया जाए, कंपनी इस उप–धारा के तहत आवश्यकताओं के लिए ऐसी अतिरिक्त राशि को समायोजित कर सकती है।

[स्पष्टीकरणः– इस धारा के प्रयोजनों के लिए निवल लाभ में ऐसी राशि शामिल नहीं होगी, जैसी निर्धारित की जाए और धारा 198 के प्रावधानों के अनुसार गणना की जाएगी।]

(6) कंपनी द्वारा अपनी निगम सामाजिक दायित्व नीति के अनुसरण में, किसी भी चल रही परियोजना के अनुसार यथा निर्धारित शर्तों को पूरा करने के लिए उप–धारा [5] के तहत खर्च न की गई राशि को, कंपनी द्वारा वित्त वर्ष के अंत से तीस दिनों की अवधि के भीतर उस वित्त वर्ष के लिए खोले जाने वाले एक विशेष खाते में स्थानांतरित किया जाएगा, जिसे किसी भी अनुसूचित बैंक में खर्च न की गई राशि का निगम सामाजिक दायित्व खाता कहा जाएगा, और कंपनी द्वारा ऐसी राशि हस्तांतरण की दिनांक से तीन वित्त वर्षों की अवधि के भीतर निगम सामाजिक दायित्व नीति के प्रति अपने दायित्व के अनुसरण में व्यय की जाएगी, जिसके विफल होने पर, कंपनी इसे अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में तीसरे वित्त वर्ष के पूरा होने की तारीख तीस दिनों की अवधि के भीतर सीानांतरित कर देगी।

(7) यदि कोई कंपनी, उप–धारा (5) या उप–धारा (6) के प्रावधानों का अनुपालन करने में चूक करती है, तो कंपनी को यथा मामला अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि या खर्च न की गई राशि के सामाजिक दायित्व खाते में कंपनी यथा मामला आवश्यक राशि के दोगुने जुर्माने या एक करोड़ रुपए, जो भी कम हो, को हस्तांतरित करने के लिए उत्तरदायी होगी और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी, जो दोषी है, कंपनी द्वारा अनुसूची VII में निर्दिष्ट ऐसी निधि, या खर्च न की गई राशि के निगम सामाजिक दायित्व खाते में जैसा यथा मामला, कंपनी द्वारा हस्तांतरित करने के लिए अपेक्षित राशि के दसवें भाग या दो लाख रुपए, जो भी कम हो, हस्तांतरित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(8) केंद्र सरकार किसी कंपनी या कंपनियों के वर्ग को ऐसे सामान्य या विशेष निर्देश दे सकती है, जो वह इस धारा के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे और ऐसी कंपनी या कंपनियों का वर्ग ऐसे निर्देशों का पालन करेगा।

(9) जहां किसी कंपनी द्वारा उप–धारा (5) के तहत व्यय की जाने वाली राशि पचास लाख रुपए से अधिक न हो, निगम सामाजिक दायित्व समिति के गठन के लिए उप–धारा (1) के तहत आवश्यकता लागू नहीं होगी और इस धारा के तहत प्रावधान की गई ऐसी समिति के कार्य, ऐसे मामलों में, उस कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा निर्वहन किए जाएंगे!

अनुसूची–VII

(धारा 135 को देखें)

कंपनियों द्वारा अपनी निगम सामाजिक दायित्व नीति की गतिविधियों में शामिल की जाने वाली गतिविधियां निम्नलिखित से संबंधित हो सकती हैं :

(i) भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन**,** निवारात्मक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल का संवर्धन और सफाई [केन्द्र सरकार द्वारा स्वच्छता के संवर्धन हेतु स्थापित स्वच्छ भारत कोष में अंशदान सहित] और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना।

(ii) शिक्षा, जिसमें विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, प्रौढ़ तथा दिव्यांग जनों को विशेष शिक्षा और रोजगार बढ़ाने वाला व्यावसायिक कौशल शामिल है, को बढ़ावा देना और आजीविका वर्धन परियोजनाएं।

(iii) लिंग–भेद समाप्त करना, महिला सशक्तीकरण, महिलाओं तथा अनाथों के लिए गृह और होस्टल स्थापित करना; वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम, डे केयर केन्द्र और अन्य सुविधाएं स्थापित करना और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूह द्वारा सामना की जाने वाली असमानता को कम करने के उपाय।

(iv) पर्यावरण की सम्पोषणीयता, पारिस्थितिकीय संतुलन, वनस्पति और जीव–जंतु संरक्षण, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करना और मृदा, वायु तथा जल [गंगा नदी के पुनर्जीवन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा निधि में अंशदान सहित गुणवत्ता बनाए रखना]।

(v) राष्ट्रीय धरोहर, कला और संस्कृति, जिसमें ऐतिहासिक महत्व के भवनों और स्थलों तथा कलाकृतियों का पुनरुद्धार शामिल है, की सुरक्षा; सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना; पारंपरिक कला एवं हस्तशिल्प का संवर्धन और विकास;

(vi) सेवानिवृत्त सैनिकों, युद्ध के कारण विधवा हुई महिलाओं तथा उनके आश्रितों [केंद्रीय शस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) और केंद्रीय अर्धसैनिक बल (सीपीएमएफ) सेवानिवृत्त, और विधवा हुई महिलाओं सहित उनके आश्रितों के लाभार्थ उपाय करना];

(vii) ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय खेलों, पैरा ओलम्पिक खेलों तथा ओलम्पिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण।

(viii) अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास और राहत तथा कल्याण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष [या प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थितियों में राहत कोष (पीएम केयर्स फंड) में योगदान।

(ix) (क) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी एजेंसी द्वारा वित्त पोषित विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा के क्षेत्र में इंक्यूबेटरों या अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में योगदान।

(ख) सार्वजनिक वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में योगदान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी); परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के तहत स्थापित राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और स्वायत्त निकायों जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी); विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी); औषधि विभाग; आयुर्वेद, योग

और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष); इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और अन्य निकायों, अर्थात् रक्षा अनुसंधान परिषद (डीआरडीओ); भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर); और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा में अनुसंधान करने के योगदान में लगे हुए हैं।

(x) ग्रामीण विकास परियोजनाएं।

(xi) स्लम एरिया विकास।

स्पष्टीकरण : इस मद के प्रयोजनार्थ, 'स्लम एरिया' का तात्पर्य, उस समय प्रवृत्त किसी कानून के तहत केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा किसी अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा घोषित इस प्रकार का क्षेत्र है।]

(xii) आपदा प्रबंधन, जिसमें सहायता, पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यकलाप शामिल हैं।